झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
एफ0 ए0 संख्या–55 / 2005

झारखण्ड राज्य, कार्यपालक अभियंता, जल मार्ग प्रभाग सं0–1, सिमडेगा के माध्यम से

.... अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स जे0के0 कंस्ट्रक्शन, कचहरी रोड, पलामु .... प्रतिवादी

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0एन0 उपाध्याय

08 / 08.01.2014 ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के अनुरोध पर विचार करते हुए यह मामला आज तय किया गया था, लेकिन बार–बार पुकार करने पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

आक्षेपित निर्णय का समापन हिस्सा इंगित करता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा लाया गया मुकदमा खारिज कर दिया गया क्योंकि यह कालबाधित था। वाद–पद (ईशु) सं0 4 शीर्षक के तहत यह मुद्दा निर्णित किया गया था। यह उल्लेखित है कि प्रतिवादी द्वारा अंतिम भुगतान, वर्ष 1991 में किया गया था और मुकदमा वर्ष 2000 में लाया गया था और इसलिए, यह कालबाधित था और खारिज कर दिया गया था।

चूंकि कोई भी इस मामले पर बहस करने के लिए मौजूद नहीं है, इसलिए यह अपील खारिज किया जाता है।

(डी0एन0 उपाध्याय, न्याया0)